

बहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

अधिसूचना

संख्या-1 जी/जि० क० पदा०-२०-०२/२०१२ ६०, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्राधीन प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद से अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक-२३.१२.२०१३ को विभागीय प्रोन्नति समिति की सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अराजपत्रित (वेतन बैंड ९३००-३४८०० ग्रेड पे-४२००) को अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, राजपत्रित (वेतन बैंड ९३००-३४८०० ग्रेड पे-४८००) के रिक्त पदों के विरुद्ध अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

क्रम सं०	प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का नाम एवं वरीयता क्रमांक	घर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नत पद का नाम
१	२	३	४
१	श्री अरुण कुमार सिन्हा १६	जमुई	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी
२	श्री राघवेन्द्र कुमार ४८	रोहतास	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी
३	श्री कृष्ण कुमार सिन्हा ५३	मोतिहारी	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी
४	श्री अरुण कुमार ६९	भागलपुर	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी
५	श्री विजय शंकर झा ७९	दरभंगा	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी
६	श्री शांति भूषण आर्य ९३	औरंगाबाद	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी
७	श्री कृष्ण राम ९८	बक्सर	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी
८	श्री सत्य नारायण राम १००	मुजफ्फरपुर	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी
९	श्री गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव १०४	पटना	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी
१०	श्री सुनील कुमार सिन्हा १०५	पटना	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति
११	श्री रंजीत कुमार झा ११८	पटना	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति
१२	श्री सुन्दर प्रसाद चौरसिया १२९	पटना	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति

13	श्री शम्भु प्रसाद सिंह 133	मुजफ्फरपुर	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति
14	श्री विनोद कुमार 134	मुंगेर	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति
15	श्री अशोक कुमार सिंह 155	पटना (सम्प्रति शोध पदाधिकारी, अनु० जा० / अ०ज०जा० कल्याण विभाग)	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति
16	श्री संजय कुमार सिंह 156	पटना	अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति

2. मुहरबंद लिफाफा में रखे गये अनुमंडल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी में प्रोन्नति विषयक अनुशंसा से उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध क्रमांक-10 से 16 में नामित पदाधिकारियों को प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि भविष्य में जिन पदाधिकारियों के लिए पद सुरक्षित रखा गया है, यदि उन्हें प्रोन्नति दी जाती है, तो वैसी स्थिति में प्रावधानानुसार कनिष्ठतम पदाधिकारी को पदावनत (रिवर्ट) किया जा सकेगा ।

2. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. बिहार सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ज्ञापांक-1 जी/जि० को पदा०-20-02/2012 60, पटना-15 दिनांक- 17/01/2014

प्रति०- हस्ताक्षरित प्रति के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को दो हार्ड प्रतियों एवं सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 250 (दो सौ पचास) प्रतियाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

ज्ञापांक-1 जी/जि० को पदा०-20-02/2012 60, पटना-15 दिनांक- 17/01/2014

प्रति०- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त वैक्षिक दावा निर्धारण कोषांग, बिहार, पटना/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/निदेशक, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव । 16/1/17